आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	
	आदेश	
	विविध वाद संख्या— 41/2018—19	P 47/18-1-19
	धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता	
	बरती देवी ……………… प्रथम पक्ष	
	बनाम	
	जागो सिंह वगैरह ……………………… द्वितीय पक्ष	
07.02.2019	यह प्रक्रिया आवेदिका बरती देवी पति — स्व0 प्यारी भुईयाँ, ग्राम— डाली, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू ने 1. जागो सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह, 2. बिरबल सिंह, 3. हिरो सिंह उर्फ राजमोहन सिंह तीनो के पिता— स्व0 कन्हाई सिंह, 4. सकेन्द्र सिंह पिता— जमुना सिंह, 5. गुड्डू पाल, 6. रविन्द्र पाल, 7. गोविन्द पाल तीनो के पिता— स्व0 मुनी पाल, 8. जमुना सिंह पिता— देवा सिंह सभी ग्राम— पलवा, पो0— डाली, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 192/न्या0 दिनांक 10.08. 2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	प्रतिवेदन कि मांग की गयी। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अपने डी0 आर0 न0— 1470/2018 दिनांक— 06.12.2018 के द्वार जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति— व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है मौजा— पलवा, खाता सं0— 19, प्लॉट सं0— 144, रकबा— 3.10 एकड़ चौहद्दी उतर— जंगल झाड़ी, दक्षिण— नाला, पूरब— जंगल झाड़ी, पश्चिम— परती जमीन एवं खाता सं0— 19, प्लॉट सं0— 144, रकबा— 1.22 एकड़ चौहद्दी उतर— जंगल झाड़ी, दक्षिण— जंगल झाड़ी, पूरब— जंगल झाड़ी, पश्चिम— सिवाना जोंड़ के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम— पलवा, खाता

(4)

ी कम और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

सं0— 19, प्लॉट सं0— 144, रकबा— 3.10 एकड़एवं 3.50 एकड़ पर यह मुकदमा प्रारम्भ किया गया है। उक्त भूमि अलग— अलग नाम से वंदोवस्ती वाद सं0— 165/1995—96 एवं 166/1995—96 से प्राप्त है। उक्त भूमि का लगान देकर प्रथम पक्ष सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष वाद भूमि को बल पूर्वक हासिल करना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा— पलवा, खाता सं0— 19, प्लॉट सं0— 144, रकबा— 2.25 एकड़ भूमि कन्हाई साव के पिता— देवा सिंह को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा प्राप्त हुआ है और देवा सिंह के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। देवा सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों जागो सिंह, बिरबल सिंह एवं हिरो सिंह उर्फ राजमोहन सिंह का दखल— कब्जा स्थापित हुआ। मौजा— पलवा, खाता सं0— 19, प्लॉट सं0— 83 एवं प्लॉट सं0— 144 रकबा— 16.00 एकड़ भूमि विपक्षी के दादा देवा सिंह भूतपूर्व जमीन्दार के समय से जोत— कोड़ करते थे तथा देवा सिंह को जमीन्दारी रसीद निर्गत किये थे। जमीन्दारी उनमूलन के बाद देवा सिंह के

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार्रवा... टिप्पण... सहित
1	2	
	पुत्रों के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते है। साथ ही धारा 144 दं0 प्र0सं0 की प्रकिया समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	07/2/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 07/2/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:51:12 +05:30
Location: 192.168.238.105